तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/8/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
7/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० वादी का वाद मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 96 / 2022

1. डालचन्द पुत्र किरोडी जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।

बनाम ....वादी

1. देवीसिंह पुत्र भावसिंह जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।
2. बलवीर सिंह पुत्र भावसिंह जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।
3. तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांकः–07.08.2025

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 40 रकवा 0.54है0 बाके ग्राम चकसहना तहसील उच्चैन में वादी अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी का खातेदारों एवं हिस्सेदारों के मध्य वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है वादी को राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो कि वादी के परिवारी कुटुम्ब भाई है मौके पर रकबा हिस्सा के मुताबिक नहीं दे रहे है वादी ने राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मौके पर विभाजन करने की व प्रथक–प्रथक कुरा कराने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 से कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ शब्दों में मना कर दिया एवं मुझ बादी को मेरे हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी एवं जमीन को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी जिसके कारण वादी ने यह बादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इन्कार किया जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक वादी ने प्रकरण को प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया अभिभाषक वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड विभाजन कराये जाने एवं पृथक–पृथक कुरे कायम करवाये जाने का निवेदन किया है। दिनांक 19.02. 2024 को उक्त प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार उच्चैन को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 09.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये। अभिभाषक वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण को अंतिम रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

तहसीलदार उच्चैन से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये।

1. डालचन्द पुत्र किरोडी हि. पूर्व जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 40/1/0.46है0।

2. बलवीर सिंह,देवीसिंह पुत्रान भावसिंह वहिव पूर्ण जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 40/2/0.08है0।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं शपथपत्र आदि एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादी का बाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादीगण का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti
भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर
व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.) मुकाम उच्चैन, भरतपुर

डालचन्द बनाम देवीसिंह वगै०

दावा बाबत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 96/2022 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादी का वाद मुताबिक कुर रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुर रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड मे पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, भू-राजस्व निर्धारित करेंगे। कुर रिपोर्ट एवं कुर रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 08 वर्ष 2025 को जारी की गई।

दस्तखत GBharti सहायक कलक्टर

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 96/2022

1. डालचन्द पुत्र किरोडी जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।

...................वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र भावसिंह जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।
2. बलवीर सिंह पुत्र भावसिंह जाति कुशवाह निवासी चकसहना तहसील उच्चैन।
3. तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)